

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 19/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री सुल्तान राम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी गली नम्बर 10, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर (विक्रेता एवं मालिक)  
मैसर्स :- श्री बालाजी किराना स्टोर, चहल चौक, रवि धर्मकांटा के सामने श्रीगंगानगर।

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 18.05.2022

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये हैं।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2021 को दोपहर बाद 12.30 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ विक्रेता एवं मालिक श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री सुल्तान राम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी गली नम्बर 10, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर, मैसर्स श्री बालाजी किराना स्टोर, चहल चौक, रवि धर्मकांटा के सामने श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री सुल्तान राम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी गली नम्बर 10, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर, कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में मिर्च पाउडर 500-500 ग्राम के बिना छाप वाली 40 नग पोली पैक विक्रय हेतु रखी थी। शुद्धता की जांच वास्ते मिर्च पाउडर 04 पोली पैक ली एवं विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात मिर्च पाउडर 500-500 ग्राम के बिना छाप वाली 40 नग पोली पैक में से मिर्च पाउडर के 04



*हरिमा*  
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

पोली पैक की जांच हेतु लिए, जिसके पेटे 480/-रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंगन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने मिर्च पाउडर 500-500 ग्राम के बिना छाप वाली 40 नग पोली में से मिर्च पाउडर 04 पोली पैक के नमूने लिये, जिसको मूल 4 पैक अलग-अलग भाग में प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1212 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1212 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1212 मिर्च पाउडर लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राजेन्द्र कुमार प्रजापत ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/371/एक्ट/2021/366 दिनांक 29.10.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1212 Sub-standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापत पुत्र श्री सुल्तान राम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी गली नम्बर 10, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mirch Powder (Plain Poly Pack)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी गली नम्बर 10 रामदेव कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है प्रार्थी मैसर्स बालाजी किराना स्टोर दुकान चहल चौक रवि धर्मकांटा के सामने श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 622/2022 दिनांक 24.04.2022 का दिया है कि आपकी दुकान की जांच की गई तो मिर्च पाउडर **Misbranded Food** एण्ड **Sub-standard Food** पाया गया है प्रार्थी ने उक्त मिर्च पाउडर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।



*(Handwritten signature)*  
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Mirch Powder (Plain Poly Pack) का सैम्पल के-1212 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/371/एक्ट/2021/366 दिनांक 29.10.2021 द्वारा Sub-standard Food & Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी गली नम्बर 10 रामदेव कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है प्रार्थी मैसर्स बालाजी किराना स्टोर दुकान चहल चौक रवि धर्मकांटा के सामने श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 622/2022 दिनांक 24.04.2022 का दिया है कि आपकी दुकान की जांच की गई तो मिर्च पाउडर Misbranded Food एण्ड Sub-standard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त मिर्च पाउडर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " Mirch Powder (Plain Poly Pack) "Code No and Sr.No.. K-1212 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Sub-standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Additive) Regulations, 2011. The sample is also Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त राजेन्द्र कुमार प्रजापत को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजेन्द्र कुमार प्रजापत को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में Mirch Powder (Plain Poly Pack) बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिमा)  
न्याय अभियुक्त के उक्त (प्रशासक)  
अतिरिक्त जिला क्लर्क एवं  
श्रीगंगानगर (प्रशासक)  
श्रीगंगानगर